

Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

संख्या :- 17-आवंटन(योजना -0101)-126 / 2020. 10.508

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाण,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्ता-सह- बन्दोबस्त पदाधिकारी,
बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, अरवल, शिवहर, किशनगंज,
अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा,
पश्चिम चम्पारण, बाँका, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर एवं नालन्दा।

पटना, दिनांक : 20.08.2020

विषय :- मुख्य शीर्ष - 2029 - भू-राजस्व -उप मुख्य शीर्ष - 00 - लघु शीर्ष - 102 -
सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य - उप शीर्ष - 0101 - सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य
का पुनरीक्षण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल -2,90,35,500/- (दो करोड़
नब्बे लाख पैतीस हजार पाँच सौ रुपये मात्र) का आवंटन।

प्रसंग :- निदेशालय पत्र संख्या 10038 दिनांक 24.06.2020 एवं 408 दिनांक 28.02.2020
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र संख्या 10038 दिनांक 24.06.2020 के साथ
संलग्न विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अन्तर्गत विभिन्न जिलों में कार्य प्रारंभ करने हेतु
अंचलों के चयन एवं शिविरों के गठन संबंधी प्रस्तावित 20 जिलों में 208 शिविरों के
गठन संबंधी पत्र निर्गत किया गया है।

2. निदेशालय पत्र संख्या 408 दिनांक 28.02.2020 की कंडिका -5 (क) में अंकित विशेष
सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी/कानूनगों को दी जाने वाले सामग्री का
अनुमानित मुल्य प्रति कर्मी 650/-की दर से कुल 3,47,100/- (तीन लाख
सैतालीस एक सौ रुपये मात्र) का आवंटन निम्नानुसार आवंटित की जाती है:-

क्र० सं०	बन्दोबस्त कार्यालय का नाम	शिविर की संख्या	प्रति शिविर विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी की संख्या	प्रति शिविर विशेष सर्वेक्षण कानूनगों की संख्या	कुल संख्या (4+5)	प्रति कर्मी 650/- की दर से आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	बेगूसराय	19	20	38	58	37700
2	खगड़िया	7	8	10	18	11700
3	लखीसराय	16	16	22	38	24700
4	जहानाबाद	10	11	14	25	16250

क्र० सं०	बन्दोबस्त कार्यालय का नाम	शिविर की संख्या	प्रति शिविर विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी की संख्या	प्रति शिविर विशेष सर्वेक्षण कानूनगों की संख्या	कुल संख्या (4+5)	प्रति कर्मी 650/- की दर से आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6	7
5	अरवल	13	13	20	33	21450
6	शिवहर	3	4	6	10	6500
7	किशनगंज	17	17	24	41	26650
8	अररिया	6	6	7	13	8450
9	कटिहार	7	7	9	16	10400
10	पूर्णिया	4	4	6	10	6500
11	सीतामढी	9	10	12	22	14300
12	सुपौल	12	12	24	36	23400
13	सहरसा	5	4	8	12	7800
14	मधेपुरा	6	6	8	14	9100
15	पश्चिम चम्पारण	11	12	14	26	16900
16	बौंका	12	12	17	29	18850
17	जमुई	6	6	8	14	9100
18	शेखपुरा	15	16	30	46	29900
19	मुंगेर	13	13	18	31	20150
20	नालन्दा	17	18	24	42	27300
कुल योग :-		208	215	319	534	347100

(तीन लाख सैतालीस हजार एक सौ रूपये मात्र)

3. निदेशालय पत्र संख्या 408 दिनांक 28.02.2020 की कंडिका -5 (क) में अंकित विशेष सर्वेक्षण अमीन को दी जाने वाले सामग्री का अनुमानित मुल्य प्रति कर्मी 4560/-की दर से कुल 1,42,27,200/- (एक करोड़ बेयालीस लाख सताईस हजार दो सौ रूपये मात्र) का आवंटन निम्नानुसार आवंटित की जाती है:-

क्र० सं०	बन्दोबस्त कार्यालय का नाम	शिविर की संख्या	प्रति शिविर अमीन की संख्या (प्रति शिविर 20 अमीन का 75 प्रतिशत)	प्रति अमीन 4560/- की दर से आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1	बेगूसराय	19	285	1299600
2	खगड़िया	7	105	478800
3	लखीसराय	16	240	1094400
4	जहानाबाद	10	150	684000
5	अरवल	13	195	889200
6	शिवहर	3	45	205200
7	किशनगंज	17	255	1162800

b

क्र० सं०	बन्दोबस्त कार्यालय का नाम	शिविर की संख्या	प्रति शिविर अमीन की संख्या (प्रति शिविर 20 अमीन का 75 प्रतिशत)	प्रति अमीन 4560/- की दर से आवंटित राशि
1	2	3	4	5
8	अररिया	6	90	410400
9	कटिहार	7	105	478800
10	पूर्णिया	4	60	273600
11	सीतामढी	9	135	615600
12	सुपौल	12	180	820800
13	सहरसा	5	75	342000
14	मधेपुरा	6	90	410400
15	पश्चिम चम्पारण	11	165	752400
16	बाँका	12	180	820800
17	जमुई	6	90	410400
18	शेखपुरा	15	225	1026000
19	मुंगेर	13	195	889200
20	नालन्दा	17	255	1162800
कुल योग :-		208	3120	14227200
(एक करोड़ बेयालीस लाख सताईस हजार दो सौ रूपये मात्र)				

4. निदेशालय पत्र संख्या 408 दिनांक 28.02.2020 की कंडिका -5 (ख) में अंकित प्रति शिविर उपस्कर हेतु को दी जाने वाले सामग्री का अनुमानित मुल्य प्रति शिविर 69,525/- की दर से कुल 1,44,61,200/- (एक करोड़ चौवालीस लाख एकसठ हजार दो सौ रूपये मात्र) का आवंटन निम्नानुसार आवंटित की जाती है :-

क्र० सं०	बन्दोबस्त कार्यालय का नाम	शिविर की संख्या	प्रति शिविर 69,525/- की दर से राशि	13 01 कार्यालय व्यय में आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1	बेगूसराय	19	1320975.00	1320975.00
2	खगड़िया	7	486675.00	486675.00
3	लखीसराय	16	1112400.00	1112400.00
4	जहानाबाद	10	695250.00	695250.00
5	अरवल	13	903825.00	903825.00
6	शिवहर	3	208575.00	208575.00
7	किशनगंज	17	1181925.00	1181925.00
8	अररिया	6	417150.00	417150.00
9	कटिहार	7	486675.00	486675.00
10	पूर्णिया	4	278100.00	278100.00
11	सीतामढी	9	625725.00	625725.00
12	सुपौल	12	834300.00	834300.00
13	सहरसा	5	347625.00	347625.00
14	मधेपुरा	6	417150.00	417150.00

क्र० सं०	बन्दोबस्त कार्यालय का नाम	शिविर की संख्या	प्रति शिविर 69,525/- की दर से राशि	13 01 कार्यालय व्यय में आवंटित राशि
1	2	3	4	5
15	पश्चिम चम्पारण	11	764775.00	764775.00
16	बाँका	12	834300.00	834300.00
17	जमुई	6	417150.00	417150.00
18	शेखपुरा	15	1042875.00	1042875.00
19	मुंगेर	13	903825.00	903825.00
20	नालन्दा	17	1181925.00	1181925.00
कुल योग :-		208	14461200.00	14461200.00
(एक करोड़ चौवालीस लाख एकसठ हजार दो सौ रूपये मात्र)				

5. उपरोक्त आवंटित राशि विपत्र कोड- 40-2029001020101 के ईकाई कोड- 13 01 कार्यालय व्यय मद से की जाएगी।
6. यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक - 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं राज्यादेश संख्या 314 दिनांक 27.02.2019 के आलोक में निर्गत किया जाता है।
7. अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।
8. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/ईकाई कोड/माँग संख्या - 40 एवं विपत्र कोड 40 - **2029001020101** अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।
9. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक नियमित रूप से निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गए विहित प्रपत्र में भेजना सुनिश्चित किया जाए।
10. बिहार वित्तीय नियामवली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सकें।
11. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
12. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
13. इसकी सूचना महालेखाकार(ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को ही दी जा रही है।
14. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

15. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

अनुलग्नक :- निदेशालय पत्र संख्या 10038 दिनांक 24.06.2020

एवं 408 दिनांक 28.02.2020 (निदेशालय वेबसाइट www.dlrs.bihar.gov.in) पर उपलब्ध है।

विश्वासभाजन

(जय सिंह)

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 17-आवंटन(योजना -0101)-126/2020...10508... पटना, दिनांक 20.8.2020
प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 17-आवंटन(योजना -0101)-126/2020...10508... पटना, दिनांक 20.8.2020
प्रतिलिपि :- सभी संबंधित प्रभारी पदाधिकारी/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय) को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 17-आवंटन(योजना -0101)-126/2020...10508... पटना, दिनांक 20.08.2020
प्रतिलिपि :- संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 17-आवंटन(योजना -0101)-126/2020...10508... पटना, दिनांक 20.8.2020
प्रतिलिपि :- सुश्री सुरभि सिंह, डाटा एनालिस्ट, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस पत्र के साथ निदेशालय पत्र संख्या 10038 दिनांक 24.06.2020 एवं 408 दिनांक 28.02.2020 भी वेबसाइट पर अपलोड कर दें।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण